JHKH030015802023

न्यायालय अनुमंडलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, खूंटी।

उपस्थित : विद्यावती कुमारी।

अनुमंडलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, खूंटी।

निर्णय की तिथि : 15-07-2026

जिला : खूँटी।

जी0 आर0 संख्या 300 / 2023

तपकरा थाना कांड संख्या 04 / 2023

CNR No.-JHKH030015802023

राज्य सरकार द्वारा मृदुला सपना भेंगरा————————————————————सूचिका।

बनाम्

1. अर्स अंसारी उर्फ असुवा, उम्र करीब 22 वर्ष, पे0 नेजाम अंसारी, सा0 बाजारटांड़, थाना तपकरा, जिला खूंटी ————————————————अभियुक्त।

अभियोजन पक्ष की ओर से :— श्री बरूणेय सिंह।
विद्वान सहायक लोक अभियोजक।

बचाव पक्ष की ओर से :— श्री धनिक गुड़िया।
विद्वान अधिवक्ता।

अनुलग्नक - II

घटना की तिथि	03—03—2023 से 04—03—2023
प्राथमिकी की तिथि	06—03—2023
आरोप—पत्र की तिथि	10—05—2023
आरोप गठन की तिथि	13—10—2023
गवाही शुरु होने की तिथि	12—12—2023
तिथि जिस दिन निर्णय हेतु रखा गया	10—07—2026
निर्णय की तिथि	15—07—2026
सजा की तिथि अगर हुई हो	नहीं

अभियुक्तगण की विवरणी :

क्रम सं0.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर छूटने की तिथि	आरोप की धाराएं	दोषी या रिहा	सजा की अवधी	सजा की अवधी जो विचारण में बीती हो धारा 428 Cr.P.C. हेतु
1.	अर्स अंसारी उर्फ असुवा, उम्र करीब 22 वर्ष, पे0 नेजाम अंसारी, सा0 बाजारटांड़, थाना तपकरा, जिला खूंटी।	13–03–2023	18–05–2023	धारा–379, 411, 34 भा0द0वि0।	रिहा		

अनुलग्नक – III

गवाहों की सूची – अभियोजन/बचाव/न्यायालय

क. अभियोजन साक्षी

क0 सं0	नाम	गवाहों के प्रकार प्रत्यक्षदर्शी, पुलिस, डॉक्टर एवं अन्य
1	मृदुला सपना भेंगरा	सूचिका
2	श्रवण कुमार साहू	शिक्षक
3	शशि भूषण कन्डुलना	शिक्षक

ख. बचाव पक्ष के साक्षी अगर हो तो

क0 सं0	नाम	गवाहों के प्रकार प्रत्यक्षदर्शी, पुलिस, डॉक्टर एवं अन्य
1	नहीं	

ग. न्यायालय के साक्षी अगर हो तो

क0 सं0	नाम	गवाहों के प्रकार प्रत्यक्षदर्शी, पुलिस, डॉक्टर एवं अन्य
1	नहीं	

प्रदर्शों की सूची – अभियोजन/बचाव/न्यायालय

क. अभियोजन

क0 सं0	दस्तावेज का विवरण	प्रदर्श संख्या/चिन्ह
1	लिखित आवेदन पर सूचिका का	प्रदर्श–P-1/P.W1

	हस्ताक्षर	

ख. <u>बचाव</u>

क0 सं0	प्रदर्श	विवरणी
1	प्रस्तुत नहीं किया गया	

ग. <u>न्यायालय</u>

क0 सं0	प्रदर्श	विवरणी
1	नहीं	

घ. वस्तु प्रदर्श

क0 सं0	वस्तु प्रदर्श	विवरणी
1	नहीं	

<u>निर्णय</u>

1. प्रस्तुत मामले में उपर वर्णित एकमात्र अभियुक्त अर्श अंसारी उर्फ असुवा का विचारण धारा–379, 411, 34 भा0 द0 वि0 के अपराध के आरोपों के लिये किया जा रहा है।

2. संक्षेप में अभियोजन पक्ष की कहानी सूचिका मृदुला सपना भेंगरा के लिखित प्रतिवेदन के अनुसार इस प्रकार है कि वह वर्तमान में एस0 एस0 उच्च विद्यालय तपकरा में प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर पदस्थापित हूँ। दिनांक–03–03–23 एवं 04–03–23 के रात्रि में पुराना भवन से अज्ञात चोरों द्वारा चैनल ग्रिल एवं खिड़की उखाड़ कर ले जाया गया। इससे पूर्व में भी विद्यालय में चोरी की घटना घट चुकी है। इसकी जानकारी उन्हें 04–03–2023 को विद्यालय भ्रमण के दौरान हुई। अपने स्तर से पता करने का प्रयास किया परन्तु कुछ पता नहीं चला। तत्पश्चात् आज दिनांक–06–03–2023 को तपकरा थाना में इसकी सूचना दे रही हूँ।

3. सूचिका के लिखित आवेदन के आधार पर तपकरा थाना कांड संख्या 04/2023, दिनांक–06–03–2023, धारा–379 भा0 द0 वि0 के अंतर्गत पंजीकृत हुआ जिसका अनुसंधान पुलिस पदाधिकारी ने किया और घटना को सत्य पाकर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपपत्र न्यायालय में धारा–379, 411, 34 भा0 द0 वि0 के अंतर्गत समर्पित किया गया जिसके आधार पर न्यायालय ने अभियुक्तगण द्वारा किये गये अपराध का संज्ञान लिया।

4. यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि अभियुक्त मेराज अंसारी उर्फ अरवाज, सैफ अंसारी उर्फ धुम एवं हसनैन अंसारी उर्फ गोड़ा को दिनांक–13–03–2023 को अल्पव्यस्क घोषित किया जा चुका है।

5. दिनांक–13–10–2023 को अभियुक्त के विरूद्ध धारा–379, 411, 34 भा0 द0 वि0 के अंतर्गत आरोप गठन कर आरोप का सारांश हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया जिस पर अभियुक्त ने अपना दोष स्वीकार नहीं किया एवं विचारण का दावा किया है।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने केस के समर्थन में अभियोजन साक्षी संख्या 1. मृदुला सपना भेंगरा, अभियोजन साक्षी संख्या 2. श्रवण कुमार साहू एवं अभियोजन साक्षी संख्या 3. शशि भूषण कन्डुलना का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जिनका बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण किया गया है।

7. अभियुक्त का बयान धारा–313 दं0 प्र0 सं0 के अंतर्गत दिनांक–07–07–2026 को दर्ज किया गया जिसमें अभियुक्त ने अपना दोष स्वीकार नहीं किया एवं स्वयं को निर्दोष बताया है।

8. अब निर्धारण हेतु प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं ?

<u>मंतब्य</u>

9. अभियोजन साक्षी संख्या 1. मृदुला सपना भेंगरा ने अपने मुख्य परीक्षण में कही है कि घटना दिनांक–03.03.2023–04.03.2023 की है। उक्त तिथि को वह प्रभारी प्रधानाध्यापिका के पद पर राज्य सम्पोषित उच्च विद्यालय तपकरा में पदस्थापित थी। दिनांक–03.03.2023 को वे लोग स्कूल बंद करने के बाद अपने–अपने घर चले गये थे। जब अगले दिन दिनांक–04.03.2023 को सुबह आये तो देखे कि कुछ अज्ञात चोरों द्वारा स्कूल में लगे खिड़की एवं गील को चोरी कर लिया। कुछ दिन वे लोग खुद से ही स्कूल से चोरी किया गया खिड़की एवं ग्रील की खोजबीन की परन्तु कुछ पता नहीं चला जिसके बाद दिनांक–06.03.2023 को पुलिस को सूचना दी जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर आकर खोजबीन एवं पूछताछ की। घटना के संबंध में दिनांक 06.03. 2023 को लिखित आवेदन दिया गया जिस पर उनका हस्ताक्षर एवं स्कूल का मोहर भी है, जिसे पहचानती हूँ, जिसे प्रदर्श–P1/PW1 अंकित किया गया है। आज अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित है। इस साक्षी ने अपने **प्रतिपरीक्षण** में कही है कि उनके विद्यालय का खिड़की ग्रील किसने चोरी किया, इसके विषय में उन्हें कोई जानकारी नहीं है।घटना को होते हुए उसने अपनी आंखों से नहीं देखी थी। इस घटना के किसी भी अभियुक्त को मैं नहीं पहचानती हूँ।

10. अभियोजन साक्षी संख्या 2. श्रवण कुमार साहू ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना दिनांक–03.03.2023–04.03.2023 की है। उक्त तिथि को वे शिक्षक के पद पर राज्य सम्पोषित उच्च विद्यालय तपकरा में पदस्थापित था। दिनांक–03.03.2023 को चे लोग स्कूल बंद करने के

बाद अपने–अपने घर चले गये थे। जब अगले दिन दिनांक–04.03.2023 को सुबह आये तो देखे कि कुछ अज्ञात चोरों द्वारा स्कूल में लगे खिड़की एवं ग्रील को चोरी कर लिया। कुछ दिन वे लोग खुद से ही स्कूल से चोरी किया गया खिड़की एवं ग्रील की खोजबीन किये परन्तु कुछ पता नहीं चला जिसके बाद दिनांक 06.03.2023 को पुलिस को सूचना स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापिका के द्वारा दी गई जिसके बाद पुलिस घटना स्थल पर आकर खोजबीन एवं पूछताछ की। आज अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित है। इस साक्षी ने अपने **प्रतिपरीक्षण** में कहा है कि उनके विद्यालय का खिड़की ग्रील किसने चोरी किया, इसके विषय में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। घटना को होते हुए उसने अपनी आंखों से नहीं देखा था। इस घटना के किसी भी अभियुक्त को मैं नहीं पहचानता हूॅ।

11. अभियोजन साक्षी संख्या 3. शशि भूषण कन्डुलना ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना दिनांक–03.03.2023–04.03.2023 की है। उक्त तिथि को वे शिक्षक के पद पर राज्य सम्पोषित उच्च विद्यालय तपकरा में पदस्थापित थे। दिनांक–03.03.2023 को वे लोग स्कूल बंद करने के बाद अपने–अपने घर चले गये थे। जब अगले दिन दिनांक–04.03.2023 को सुबह आये तो देखे कि कुछ अज्ञात चोरों द्वारा स्कूल में लगे खिड़की एवं ग्रील को चोरी कर लिया। कुछ दिन हमलोग खुद से ही स्कूल से चोरी किया गया खिड़की एवं ग्रील की खोजबीन की परन्तु कुछ पता नहीं चला जिसके बाद दिनांक–06.03.2023 को पुलिस को सूचना स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापिका के द्वारा दी गई जिसके बाद पुलिस घटना स्थल पर आकर खोजबीन एवं पूछताछ की। आज अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित है। इस साक्षी ने अपने **प्रतिपरीक्षण** में कहा है कि उनके विद्यालय का खिड़की ग्रील किसने चोरी किया, इसके विषय में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। घटना को होते हुए उसने अपनी आंखों से नहीं देखा था। इस घटना के किसी भी अभियुक्त को मैं नहीं पहचानता हूॅ।

12. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया तो पाया कि अभियोजन साक्षी संख्या 1. मृदुला सपना भेंगरा जो इस मामले की सूचिका हैं, अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन कथन का समर्थन करती हैं तथा लिखित आवेदन पर अपने हस्ताक्षर की पहचान प्रदर्श–**P1/PW1** के रूप में की है परन्तु इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कही है कि उनके विद्यालय का खिड़की ग्रील किसने चोरी किया, इसके विषय में उन्हें कोई जानकारी नहीं है।घटना को होते हुए उसने अपनी आंखों से नहीं देखी थी। इस घटना के किसी भी अभियुक्त को मैं नहीं पहचानती हूॅ। अभियोजन साक्षी संख्या 2. श्रवण कुमार साहू एवं अभियोजन साक्षी संख्या 3. शशि

भूषण कन्डुलना ने अपने–अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन कथन का समर्थन किया है परन्तु इन दोनों साक्षियों ने अपने प्रतिपरीक्षण में एक स्वर से कहा है कि उनके विद्यालय का खिड़की ग्रील किसने चोरी किया, इसके विषय में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। घटना को होते हुए उसने अपनी आंखों से नहीं देखा था। इस घटना के किसी भी अभियुक्त को मैं नहीं पहचानता हूॅ। इस वाद में अनुसंधानकर्ता का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किसी भी साक्षी ने अभियुक्त की पहचान घटना कारित करने वाले के रूप में नहीं किया है।

13. मैंने अभिलेख तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन एवं परिशीलन करने के पश्चात् मैं पाती हूॅ कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में विफल रहा है। अतः मैं पाती हूॅ कि **अभियुक्त अर्श अंसारी उर्फ असुवा को धारा–379, 411, 34 भा0 द0 वि0** के आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में पर्याप्त एवं विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में **अभियुक्त अर्श अंसारी उर्फ असुवा** को उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है, अतः उन्हें तथा उनके जमानतदारों को जमानत बंधपत्र के दायित्वों से मुक्त किया जाता है।

यह निर्णय मेरे द्वारा लेखापित एवं शुद्धित, दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लेखापित एवं शुद्धित

ह0/–

(विद्यावती कुमारी) JH01113
अनु0 न्या0 दं0, खूंटी।
दिनांक–15.07.2026

लेखापित

ह0/–

(विद्यावती कुमारी) JH01113
अनु0 न्या0 दं0, खूंटी।
दिनांक–15.07.2026